रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1984/आषाढ़ 30, 1906
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1984/ASADHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 1984

का० नि० आ० 146—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) प्रथम संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 में नियम 5 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(3) प्रत्येक नामनिर्देशन प्रथम अनुसूची में दिए गए "प्रारूप" में किया जाएगा।"

(ii) प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची [नियम 5(3)]

"नामनिर्देशन का प्रारूप

मैं, " ..... नीचे उपदर्शित निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी हो, किन्तु संदत्त न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य नहीं है/हैं, नाम निर्दिष्ट करता हूं।

नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) का नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	नाम निर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की आयु	प्रत्येक नाम निर्देशित को संदेय अंश
1	2	3	4

ऐसे आकस्मिकताएं जिनके होने पर नाम निर्देशन अवधि मान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के यदि कोई हो, नाम पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	यदि नाम निर्देशित नियम 2 में यथा उपबंधित कुटुम्ब का सदस्य नहीं है तो कारण उपदर्शित करें।

5	6	7

तारीख .... 19 , स्थान ....

अभिदाता के हस्ताक्षर
स्पष्ट अक्षरों में नाम ....
पदाभिधान ....

ऐसे दो साक्षी जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए :—

नाम और पता	हस्ताक्षर
1.	
2	

(प्ररूप का पृष्ठ भाग)

कार्यालय अध्यक्ष वेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती कुमारी .... द्वारा नाम निर्देशन ....
पदाभिधान .... कार्यालय अध्यक्ष/वेतन और लेखा

नाम निर्देशन प्राप्त अधिकारी के हस्ताक्षर
होने की तारीख .... पदाभिधान ....
तारीख ....

अभिदाता के लिए अनुदेश

(क) अपना नाम लिखिए।

(ख) निधि के नाम को उपर्युक्त रूप से पूरा किया जाए।

(ग) साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 में 'कुटम्ब' शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसे नीचे दिया जा रहा है :

"कुटम्ब" से अभिप्रेत है—

(i) पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और संतानें तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतानें :

परन्तु अभिदाता यदि यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है, अथवा वह, उस समुदाय की, जिसकी कि वह है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उसी रूप में माना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटम्ब की सदस्य नहीं रह गई है,

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में, अभिदाता का पति और संतानें तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतानें :

परन्तु यदि कोई अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर अपने कुटम्ब से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो पति को तब से जब तक कि अभिदाता बाद में वह सूचना लिखित रूप में रद्द न कर दे यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

टिप्पण : संतान से धर्मज संतान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तकों को मान्यता प्राप्त है, दत्तक संतान आती है,

(घ) स्तम्भ 4—यदि केवल एक ही व्यक्ति का नाम निर्देशित किया जाता है तो उस नाम 'निर्देशिती' के सामने "सम्पूर्ण" लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देशित किया जाता है तो, प्रत्येक नाम निर्देशिती को संदेय अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उसके अन्तर्गत आ जाए।

(ङ) स्तम्भ 5—इस स्तम्भ में नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) की मृत्यु को आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(च) स्तम्भ 6—अपना नाम न लिखें।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में एक रेखा खींच दें जिससे आपके हस्ताक्षर करने के पश्चात् उस स्थान में कोई नाम न लिखा जा सके।

टिप्पण : यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटम्ब नहीं थे और उसके पश्चात् उसका कुटम्ब हो जाता है तो यह नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

टिप्पण मुख्य नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4, तारीख 27-10-1961 में पृष्ठ 63 पर प्रकाशित हुआ था। देखें सरकारी अधिसूचना रक्षा मंत्रालय एस०पी०ओ०सं० 331 तारीख 27-10-1961 और प्रश्नाधीन नियम को तत्पश्चात् संशोधित नहीं किया गया।

मामला सं० एफ० 19(4)/83/डी(सिव-2)
वित्त मंत्रालय और सं० ए-2646-पी०ए० 1983
राम कृष्ण, उप सचिव,

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th June, 1984

S. R. O. 146 —In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Defence Services) First Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960 in rule 5 for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Every nomination shall be made in the 'Form' set forth in the First Schedule."

(ii) For the First Schedule, on the following Schedule shall be substituted namely :—

FIRST SCHEDULE [RULE 5(3)]
FORMS OF NOMINATION

Account No .....

I.....hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-members of my family as defined in rule 2 of the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below in the event of my death before that amount has became payable or having become payable has not been paid.

Name & full address of the nominee (s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid.	Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the even of his/her predeceasing subscriber	If the Nominee is not a member of the family as provided is rule 2 indicate the reasons
1	2	3	4	5	6	7

Dated this.....day of.....19.....at.....

Signature of the subscriber
Name in BLOCK letter.....
Designation.....

Two Witnesses to signature
Name & Address

Signature

1.
2.

(reverse of the Form)

Space for use by the Head of Office/Pay & Accounts Office

Nomination by Shri/Smt./Kumari..... :.....
Designation.....
Date of receipt of nomination.....

Siganture of.....
Head of Office/Pay & Accounts Officer
Designation.....
Date.....

Instructions for the subscriber :

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the fund may be completed suitably

(c) Definition of term 'family' as given in the General Provident Fund (Defence Service) Rules, 1960 is reproduced below :—
Family means :—

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and the widow ,or widows, and children of a deceased son of the subscriber, provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall hence forth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of subscriber' family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note :—Child means a legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4 If only one person is nominated the words 'in full' should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6 Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

Note :—A nomination shall become invalid in case of a subscriber who had no family at the time of nomination subsequently acquires a family.

Note :—The principal rules were published in Gazetted India, Part II, Section 4 dated 2-10-1961 at page 63 vide Government Notification, Ministry of Defence SRO No. 331 dated 2-10-1961, and the rule in question was not subsequently amended.

Case No. F. 19(4)/83/D(Civ-II)

Finance Division u.o. No. 2646-PA of 1983.

R AMA KRISHNA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1944